न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –126/2014 (76/2000)

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. देवकरण पुत्र घेवरराम 2. खींवराज पुत्र घेवरराम 3. जस्साराम पुत्र घेवरराम जतियान जाट निवासीगण सम्दोलाव खुर्द तहसील मेड़ता जिला नागौर व		1–हुक्माराम पुत्र भंवरूराम 2–मंगलाराम पुत्र भंवरूराम जाति जाट निवासीगण सम्दोलाव खुर्द तहसील मेड़ता जिला नागौर 3–चेतनपुरी पुत्र कुनापुरी 4–आशापुरी पुत्र कुनापुरी 5–जस्सापुरी पुत्र कुनापुरी 6–कालू पुरी पुत्र रामपाल पुरी 7–स्वर्गीय मांगूपूरी के कायम मुकामान– 7/1–शान्ति देवी पत्नी प्रेमापुरी 7/2–कमल पुत्र प्रेमापुरी 8–स्वर्गीय पप्पूपूरी पुत्र प्रेमापुरी के कायममुकामान– 8/1–सरोज पत्नी पप्पूपुरी 8/2–नितिन पुत्र पप्पूपुरी नाबालिग जरिये माता सरोज 9–स्वर्गीय नौरत पुत्र प्रेमापुरी के कायम मुकामान– 9/1–मनीषा पत्नी नौरत 9/2–चिराग पुत्र नौरत नाबालिग जरिये माता मनीषा 9/3–सिद्धार्थ पुत्र नौरत नाबालिग जरिये माता मनीषा 10–स्वर्गीय गेदापुरी पुत्र कुनापुरी के कायममुकान– 10/1–जगदीश पुत्र गेदापुरी 10/2–बंशीपुरी पुत्र गेदापुरी 11–संपतपुरी पुत्र मोहनपुरी 12–बाबुपुरी पुत्र मोहनपुरी 13–दुर्गापुरी पुत्र मोहनपुरी 14–जोगपुरी पुत्र मोहनपुरी जतियान गुंसाई निवासीगण भवाल तहसील रियांबड़ी जिला नागौर 15. ग्राम पंचायत भंवाल तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

कलक्टर, नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री हेमसिंह चौधरी
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–2 की ओर से वकील श्री विकम जोशी। अन्य कोई रेस्पोडेन्टस उपस्थित नहीं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

निर्णय दिनांक 05/03/2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत ग्राम पंचायत भंवाल द्वारा मुकदमा संख्या 1/85 हुक्माराम बनाम गेंदापुरी में

पारित आदेश दिनांक 26.02.86 से असन्तुष्ट होकर दिनांक 01.12.2000 को प्रस्तुत की गई, जिस पर राजस्व अपील संख्या 76/2000 देवकरण वगैरह बनाम हुक्माराम वगैरह दर्ज कर। प्रकरण में विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 30.09.2002 को विवादित रास्ते को लेकर सिविल न्यायालय में पक्षकारों को बीच कार्यवाही जैरकार होने तथा उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी जारी हो रखी होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं मानकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में आगामी कार्यवाही सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार सुनिश्चित करने का इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 30.09.2002 के विरूद्ध अपीलान्ट देवकरण वगैरह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो निगरानी/टी.ए./7118/2002/ जिला नागौर देवकरण व अन्य बनाम हुक्माराम व अन्य दर्ज होकर उक्त निगरानी में मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपने निर्णय दिनांक 03.05.2014 इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30.09.2002 को अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों तथा विधिक स्थिति के अनुरूप दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश करने तथा उभय पक्ष को न्यायालय हाजा में दिनांक 29.04.2014 को उपस्थित होने बाबत आदेशित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 03.05.2014 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 20.08.14 को अपील पुनः राजस्व अपील संख्या 126/2014 पर दर्ज की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील का गुणावगुण पर पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर तथा विधि के प्रावधानों के मुताबिक आदेश पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उभय पक्ष को न्यायालय हाजा में दिनांक 29.04.2014 को उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भंवाल ने अपीलान्ट को कोई नोटिस निर्णय पूर्व नहीं दिये और निर्णय के बाद भी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। अदालत मातहत की पत्रावली संख्या 1/1985 में नोटिस अपीलान्ट देवकरण, खींवराज व जस्साराम के है, उन पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तथा न नोटिस की पुस्त पर तामिल के कोई हस्ताक्षर है न नोटिस चस्पा करने बाबत कोई रिपोर्ट ही है। रेस्पोडेन्ट चेतनपुरी, आशापुरी, जस्सापुरी, कालूपुरी, बाबुपूरी, दुर्गापुरी, सम्पतपुरी, प्रेमपुरी, जोगीपुरी के नोटिस भी पत्रावली पर है, जो उनमें सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तथा न इन रेस्पोडेन्ट की तामील के हस्ताक्षर या तामिली रिपोर्ट या नोटिस चस्पानगी रिपोर्ट भी है। निर्णय के दिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की मौजूदगी में निर्णय जैर अपील नहीं सुनाया गया है।

अदालत मातहत ने जो सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी होना बताया है, उसमें दिनांक 31.01.86 के पूर्व आपत्ति पेश करने का दर्ज किया है, जबकि दिनांक 31.01.86 या पूरी जनवरी माह 1986 में उक्त मामले की कोई पेशीं निर्धारित नहीं थी और इस नोटिस में सार्वजनिक विज्ञप्ति के रूप में जारी होना बताया है। उसमें किसी की तामिली रिपोर्ट या सार्वजनिक स्थान पर चस्पानगी रिपोर्ट उक्त विज्ञप्ति के आगे व पिछे कहीं पर दर्ज नहीं है, इससे भी अदालत मातहत की गलत कार्यवाही कानून विरोधी कार्यवाही स्पष्ट जाहिर होती है।

उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति में राजकीय नियमानुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता तय किया जाता है, दर्ज किया है, जबकि धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत 12 फुट रास्ता देने का कोई राजकीय नियम नहीं है तथा विज्ञप्ति के अनुसार अदालत मातहत ने पहले ही निर्णय लेना बता दिया है। रेस्पोडेन्ट हुक्माराम, मंगलाराम ने अपने आवेदन में 12 फुट रास्ते का उल्लेख नहीं किया है। निर्णय में उक्त रास्ते को सार्वजनिक उपयोग में आने का उल्लेख किया है। धारा 251 आरटीएक्ट के तहत् तो केवल व्यक्तिगत रास्ते ही तय किये जाते है। अदालत मातहत ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 358, 359 में 12 फुट चौडा रास्ता दिया जाना पंचो ने उचित माना है। जो राय कानूनन नहीं दी जानी चाहिए थी। मौका रिपोर्ट में केवल रास्ता है या नहीं का तथ्य ही दर्ज होना चाहिए था। मगर मौका निरीक्षण प्रतिवेदन में मौके पर कोई रास्ता चलना नही बताया है। रिपोर्ट में मार्ग दिया जाना पंचों की राय में उचित माना है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर विवादग्रस्त रास्ता मौजूद नही था। रेस्पोडेन्ट हुक्माराम व मंगलाराम का रास्ता ग्राम भवाल से ग्राम जसनगर (केकीनडा) की तरफ कटाणी रास्ता चलता है जो उत्तर दक्षिण की तरफ चलता है और रेस्पेडोन्ट हुक्माराम व मंगलाराम के खेतों में खसरा नम्बर 443 व 355 के बीच की माठ के ऊपर से कदीमी रास्ता जाता है, जिस बाबत ग्राम पंचायत ने कोई मौका नहीं देखा।

अदालत मातहत ने दिनांक 26.12.1985 को जिन गवाहान सुगनाराम, रामदीन, पेमाराम, हरीराम व लालाराम को तलब किया था उनमें से हरीराम, रामदीन व सुगनाराम की तामील हुई है। इन नोटिसों पर सरपंच हरदीनराम के हस्ताक्षर भी है जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के अलावा बाकी रेस्पोडेन्ट्स के नोटिसों पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न नोटिस की पुश्त पर तामील हस्ताक्षर ही है। अदालत मातहत की पत्रावली में दो फर्जी इकरारनामें भी लगाये गये है, मगर इनमें खेतों के खसरा नम्बर दर्ज नहीं है और न देवकरण, खींवराज व जस्साराम के कोई हस्ताक्षर ही है। बकाया रेस्पोडेन्ट्स के भी हस्ताक्षर नहीं है। घेवरराम व देवकरण के इकरारनामों में आशापूरी के भी हस्ताक्षर बताये गये है। देवकरण व घेवरराम के हस्ताक्षर भी फर्जी है। यह लिखापढी दोनो इकरारनामों की स्टाम्प पर नहीं होने से कानून मान्यता नहीं है न इकरारनामों की तारीखें ही दर्ज है। इस प्रकार इन इकरारनामों को मानना भी गलत है। अपीलांट देवकरण ने अदालत मातहत में कोई बयान नहीं दिये तथा देवकरण के जो बयान अदालत मातहत की पत्रावली में है उन बयानों में नीचे हरदीनराम के हस्ताक्षर है। यह बयान किस तारीख को लिये गये उसका उल्लेख नहीं है, जबकि हरीराम, पेमाराम व सुगनाराम, रामदीन, लालाराम, हुक्माराम के बयानों में तारीख 26.12.1985 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने अपीलांट देवकरण के बयान गलत दर्ज किये है। गवाहान जसनगर व लिलिया गांव के रहने वाले है। जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर के है।

अदालत मातहत ने मुकदमा 13.11.1985 को दर्ज किया था और नियमानुसार 45 दिन में निर्णय पारित करना चाहिए था। 45 दिन में निर्णय पारित नहीं करने पर पत्रावली तहसीलदार मेडता को भेजनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं करने में भी अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने करीब 105 दिन बाद निर्णय दिया है, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर था। अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 358 का रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा था, उसे पंचायत के फैसले के बाद 6 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से 16 के खेत खसरा नम्बर 359 का रकबा भी 2

बिस्वा कम कर दिया और खसरा नम्बर 359 का रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा के बजाय 37 बीघा 10 बिस्वा कर दिया, जो अदालत मातहत के क्षेत्राधिकार में नहीं था और राजस्व रेकर्ड नक्शे में भी पंचायत के निर्णय के अनुसार रास्ता दर्ज कर दिया, जो गलत है।

अदालत मातहत ने उक्त रास्ता का फैसला करके पत्रावली बस्ते में बंद करके रख दी और दिनांक 26.11.2000 को उक्त कानून के विरूद्ध पारित निर्णय के आधार पर कथित रास्ता पुलिस इमदाद से खुलवाने पर अपीलांट को जानकारी हुई। निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का होने से आरआरडी 1958 पेज 89 के अनुसार कभी भी निरस्त किया जा सकता है। सार्वजनिक रास्ता घोषित करना व नक्शे में दर्ज करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होने का कथन करते हुए अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलांट ने बहस के समर्थन में आरआरडी दिसम्बर 2002 पेज 747 से 748, आरआरडी 14.09.2012 पेज संख्या 624, आरआरडी मई 2005 पेज 267 से 272, आरआरडी 14.06.2010 पेज 375 से 381, आरआरडी 1996 पेज 483 से 485, आरबीजे 1999 पेज 165–69 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री विक्रम जोशी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण दिनांक 26.11.1985 को ही उपस्थित हो गये। चाहे व किसी भी सूचना पर उपस्थित हो। इसलिए अप्रार्थीगण के नोटिस निकलने की न तो कोई आवश्यकता है और न हीं तामील की कोई आवश्यकता थी और न ही उस पर सरपंच के हस्ताक्षर हुए या नहीं हुए इसकी कोई आवश्यकता है। सभी अप्रार्थीगण 23.12.1985 को भी उपस्थित थे व 26.12.1985 को भी उपस्थित थे, जो ग्राम पंचायत की ऑर्डरशीट से पूरी तरह प्रमाणित है। अप्रार्थीगण देवकरण व अन्य अप्रार्थीगण/ अपीलांट भींयाराम व जस्साराम के पिता घेवरराम स्पष्ट इकरारनामा भी लिखकर ग्राम पंचायत में पेश किया है और देवकरण के ग्राम पंचायत में बयान भी हुए है। अपीलांट इस प्रकरण में ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर रेस्पोडेन्ट से राजीनामा करने की सहमति भी प्रकट की है। राजीनामा व रास्ता देना भी स्वीकार किया है। दिनांक 26.02.1986 को अपीलांट जरूर अनुपस्थित थे मगर इस से पहले दिनांक 13.02.1986, 26.12.1985, 13.12.1985, 26.11.1985 को अपीलांट उपस्थित थे और राजीनामा होने और रास्ता खोलने के तथ्य को उन्होने भली प्रकार से स्वीकार किया था इसलिए दिनांक 26.02.1986 की अनुपस्थिति की कोई मेहत्ता नहीं है। विज्ञप्ति पक्षकारों के लिये नहीं अपितु पक्षकारान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अपना हित बताकर भी प्रस्तुत कर सकता था, इसलिए ग्राम पंचायत ने ऐतिहात के लिए यह विज्ञप्ति निकाली है। इस विज्ञप्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडता। ग्राम पंचायत ने सही रूप से दिनांक 26.12.1985 को ही अपना विवेक काम में लेकर रास्ता पक्षकारों की सहमति जताने पर तय कर दिया था और ऐतिहाती के रूप में अन्य किसी को आपत्ति न हो इसलिए यह सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाली गई थी।

इस रास्ते से अनेको लोगो के आवागमन पर प्रभाव पडता था और पक्षकारान ने स्वंय भविष्य के लिये रास्तो को स्थायित्व देने के लिये यह सारी कार्यवाही करवाई थी। इसलिए इकरार द्वारा दोनो पक्षो की सहमति के अलावा इस भूमि का डेडीकेशन भी किया गया है और स्थायी रूप से रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की है। इसलिए यह कार्यवाही भी की गई है।

मौका निरीक्षण रिपोर्ट में बाकायदा रास्ता होने का उल्लेख किया है और मौके पर रास्ता करीब 2 पावण्डा मौजूद होने के कारण पंचों ने फसल की आवाजावी और काश्त करने के उपकरण हल वगैराह व फसल ढोने के वाहन जा सके इसलिए अपनी

राय व्यक्त की है और इतना ही रास्ता मौके पर था। यह तर्क भी सरासर गलत है कि 12 फुट के निष्कर्ष से यह मान लिया नहीं जाना चाहिए कि रास्ता मौजूद नही है। रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने का केवल यही रास्ता है। अलावा इसके यदि कोई वैकल्पिक रास्ता है तो भी वर्तमान रास्ते को जो पीढियों से चलता रहा है उस रास्ते को नजरअंदाज करने का यह कोई आधार नहीं है।

यह गलत है कि पत्रावली में इकरारनामा फर्जी लगाये गये हो। खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं होने मात्र से इकरारनामे फर्जी नहीं हो जाते। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत इकरारनामें में खींवराज और जस्साराम के पिता व कर्ताखानदान घेवरराम के हस्ताक्षर है। देवकरण स्वंय के हस्ताक्षर है, अन्य के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है। स्वंय खींवराज व जस्साराम और देवकरण ने भी इससे पूर्व राजीनामा होने और रास्ता खोलने के तथ्य को स्वीकार किया था। इकरारनामा स्टाम्प पर नहीं होने से ऐसे समरी मामलों में कोई मेहत्ता कम नहीं होती। बयान देवकरण के है एंव हस्ताक्षर भी देवकरण के है।

सही रूप से अप्रार्थीगण (मूल) अपीलांट ने राजीनामा दिनांक 26.12.85 को ही कर लिया था और राजीनामा पक्षकारान ने पेश करने की समहति दे दी थी और ग्राम पंचायत ने अपना मत और निर्णय दिनांक 26.12.85 को ही कर दिया था इसलिए कोई विवाद रहा ही नहीं। अलबत्ता विस्तृत आदेश दिनांक 26.2.86 को कन्सोलिडेट रूप में बाद में रास्ता को स्थायित्व देने के लिए मत बाद में व्यक्त किया गया है। मगर मूल निर्णय इसके पूर्व ही हो गया। जो 45 दिन की अवधि में हुआ है। इस लिए यह सरासर गलत है कि यह आदेश ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर किया है। अलावा इसके विकल्प में निवेदन है कि ग्राम पंचायत ने यह सारी कन्सोलिडेट कार्यवाही को सिफारिश उपखण्ड अधिकार नागौर को दिनांक 26.2.86 को कर के भेजी और श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मेड़ता में 12 फुट का रास्ता पक्षकारान के आवागमन के लिए खसरा नम्बर 358 व 359 को बीच की माठ पर होकर निर्णित किया और इसी के अनुसार अमल दरामद रिकार्ड में करने का आदेश किया। निश्चित रूप से यदि अपीलांट के तथ्य को मान लिया जाए तो फाईनल आदेश इस रास्ते का तय करने और अमल दरामद करने का उपखण्ड अधिकारी मेडता ने दिया है, जिसके खिलाफ अपीलांट ने कोई अपील पेश नही की और जब तक कोई अपील उस आदेश को निरस्त करने की नहीं की जाती, तब तक व आदेश फाईनल ही है। निश्चित रूप से 45 दिन बाद में तहसीलदार व उनसे उच्चस्थ अधिकारी, जिसमें एसडीओ भी शामिल है धारा 218 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उन्हें ऐसे प्रकरण में जबकि कन्सोलिडेट आदेश धारा 251 और पक्षकारान के डेडीकेशन पर रास्ता रिकार्ड में दर्ज करवाना है तो एसडीओ (रिकार्ड अधिकारी) की यह अधिकार दोनो ही कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त था, इसलिए भी आदेश अनाधिकृत और शुन्य नहीं है। अलावा इसके यह भी तर्क गलत है कि ग्राम पंचायत को इन–हैरेन्ट जुरिसडिक्शन नहीं है। माननीय न्यायलयों का स्पष्ट अभिमत है कि किसी अधिनस्थ न्यायालय के अधिकार विशेष परिस्थिति में उच्चस्थ न्यायालय द्वारा धारा 258 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपयोग मे लिए जा सकते है और आर.आर.डी. 1978 इस सम्बंध में स्पष्ट है।

उजर संख्या 11 भी सरासर गलत है। यह आदेश ओर सारी कार्यवाही विधि सम्मत है। आदेश ग्राम पंचायत को सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी ने अपने अधिकार

क्षेत्र का होने से धारा 251 एवं लेण्ड रिकार्ड अधिकारी होने से पदाधिकारी को सहमति और इकरारनामा के आधार पर डेडीकेशन होने दिया है और जब तक वह आदेश निरस्त नहीं होता, तब तक रिकार्ड और कोई आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता।

अपीलान्ट को दिनांक 26.11.2000 को इस कार्यवाही और आदेश का पता लगा हो, अपितु अपीलान्ट निरन्तर दिनांक 26.11.85 से दिनांक 26.12.85 तक और 13.02.89 तक लगातार उपस्थित थे। केवल उपस्थिति हीं नहीं अपितु अपनी सहमति व इकरार भी था, इसलिए अब पन्द्रह साल पश्चात यह कार्यवाही की है।

धारा 251 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की कार्यवाही सरसरी (Summary) है। वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस दीवानी प्रकरण संख्या 98/2014 हुकमाराम वगैरह बनाम देवकरण वगैरह में सिविल न्यायाधीश महोदय मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2017 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भंवाल के खेत खसरा नम्बर 356 में आने जाने का 12 फीट चौड़ा रास्ता जो खसरा संख्या 358 व 359/3 है, के वादीगण हुकमाराम व मंगलाराम के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालने और न ही प्रतिवादीगण देवकरण, खींवराज व जस्साराम अपने खेत में से दिये गये 6 फीट के रास्ता को बाधित करने का आदेश पारित किया गया है, उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरान की भूमि से ही संबंधित होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट 1 हुक्माराम व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मंगलाराम ने दिनांक 13.11.85 को सरपंच ग्राम पंचायत भंवाल के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भंवाल के दक्षिणी कांकड़ में खेत खसरा नम्बर 356 व कुआ खसरा नम्बर 356/1 आया हुआ है। कुए पर आने का कोई मार्ग राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है, गैर सायलान गेंदापुरी, चेतनपुरी, आशापुरी, जसापुरी पुत्रगण कुनापूरी गुंसाई, भागूपूरी, कालूपूरी पुत्रगण रामपाल पूरी गुंसाई, सम्पतपुरी, बाबूपूरी, दुर्गापुरी, जोगपूरी पुत्रगण मोहनपुरी गुसांई निवासीगण भंवाल व देवकरण, खीवराज, जसाराम पुत्रगण घेवरराम जाट निवासी समदोलावखुर्द आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है। सायलान खेत खरीदने से लेकर आज तक संलग्न नक्शे के मार्क ए से बी की माठ पर से आते जाते रहे है। मेरे पूर्व खातेदार हरजी, पूना, चन्द्राराम गुर्जर वगैरह निवासीगण जसनगर इसी रास्ते से आते जाते रहे है, जो गैरसायलान के खेतों की माठ पर कदीम से चलता आया है, परन्तु आपसी बहकावे में आकर गैर सायलान से सायल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के आवागमन में बाधा डालना शुरू कर देने का कथन करते हुऐ अपने कुए पर आने जाने से से गैर सायल को रोकने तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 के अन्तर्गत सायलान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का रास्ता नक्शे मुताबिक करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत भंवाल द्वारा प्रकरण दिनांक 13.11.85 को दर्ज किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भवांल की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.11.85, 13.12.85, 26.12.85, 13.2.86, में गैर सायलान अर्थात अपीलान्ट की उपस्थिति बताई गई है। आदेशिका दिनांक 26.12.85 में उल्लेख है कि पक्षकारान ने आगे साक्षी पेश न करने की इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि हम आपस में रजामंद होकर अपना राजीनामा प्रस्तुत कर देगें। आदेशिका दिनांक 13.02.86 में उल्लेख किया

है कि इस मामले में पक्षकार आपस में रजामंद हो गये है, गैर सायलान ने सायलान का रास्ता खोल दिया है तथा ईकरारनामे लिख कर दिये है। प्रकरण में यद्यपि गैर सायलान जिसमें अपीलान्ट की तामील होने बाबत नोटिस की प्रति ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, परन्तु उपरोक्तानुसार आदेशिकाओं तथा अपीलान्ट देवकरण व अपीलान्टस् के पिता घेवरराम द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत इकरारनामें से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी अवश्य ही रही है।

अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भवांल की पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा द्वारा घेवरराम व देवकरण वगैरह दिनांक 29.12.85 में यद्यपि खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है, परन्तु उक्त इकरारनामा की ईबारत अनुसार रास्ता देना तय किया का उललेख है। उक्त इकरारनामें पर अपीलान्ट देवकरण व उसके पिता घेवरराम व अन्य के हस्ताक्षर है। प्रकरण में गवाह सुगनाराम पुत्र रामाराम, रामदीन जाट, लालाराम पुत्र छोगाराम, हुक्माराम पुत्र भंवरूराम, हरीराम पुत्र हेमाराम, पेमाराम पुत्र गिरधारी राम के बयान दिनांक 26.12.85 के अनुसार रास्ता गैर सायलान के खेतो के बीच में से माठ पर कदीमी से चलना बताया है।

हस्तगत प्रकरण में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 98/2014 हुकमाराम वगैरह बनाम देवकरण वगैरह में सिविल न्यायाधीश महोदय मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2017 अनुसार ग्राम भंवाल के खेत खसरा नम्बर 356 में आने जाने का 12 फीट चौड़ा रास्ता जो खसरा संख्या 358 व 359/3 है, के वादीगण हुकमाराम व मंगलाराम के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालने और न ही प्रतिवादीगण देवकरण, खींवराज व जस्साराम अपने खेत में से दिये गये 6 फीट के रास्ता को बाधित करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त सिविल न्यायालय का निर्णय भी हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि से संबंधित ही है।

प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.1986 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील सर्वप्रथम वर्ष 2000 में करीब 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। केवल मात्र तकनीकी कारणों यथा ग्राम पंचायत ने 45 दिवस की अवधि में निर्णय पारित करना चाहिए अथवा इकरारनामें रजिस्टर्ड न होना इत्यादि कारणों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.86 को निरस्त करना उपरोक्त विवेचन अनुसार मेरे मत में न्यायसंगत नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। सरंपच ग्राम पंचायत भंवाल द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भंवाल को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:48:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: